

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 470] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 1979/कार्तिक 23, 1901

No. 470] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 1979/KARTIKA 23, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आवेश

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1979

क्र. भा. 725(अ).—केन्द्रीय सरकार की मसर्स काशीराम टी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, पी-11, न्यू हावड़ा ब्रिज, एप्रोच रोड, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन दार्जिलिंग जिले में स्थित सामावियोग टी एस्टेट, कलिपोंग सब डिबिजन, नामक चाय एकक की बावत यह राय है कि—

- (1) पांच वर्ष की अवधि में, अर्थात्, 1974 से 1978 की अवधि में,
उक्त चाय एकक को 1974 से लगातार चार वर्ष तक हानि
हूँ है ;

- (2) वर्ष 1974 से 1978 के दौरान इस चाय एकक की औसत उपज, जिले की औसत उपज से पच्चीस प्रतिशत (25%) कम रही है ;
- (3) चाय एकक का प्रबन्ध ऐसे ढंग से किया जा रहा है जो चाय उद्योग तथा लोक हित के लिए बहुत अपायकर है ।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16-ख की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त चाय एकक के मामलों का पूर्ण और व्यापक आवेक्षण करने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों का एक निकाय नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- (1) श्री एस.एस. नन्दकील्यार, निवेशक, चाय विकास, चाय बोर्ड।
- (2) श्री ए. वत्ता, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी, चाय बोर्ड ।
- (3) श्री सी. आर. गौतम, उपसचिव, वाणिज्य और उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार, कलकत्ता ।
- (4) श्री ए. के. रायचौधरी, उपसलाहकार (वित्त), लोक उद्यम व्यूरो, मयूर भवन, कलकत्ता ।
- (5) श्री आर. सी. निगम, संयुक्त निदेशक (लेखा), क्षेत्रीय निवेशक कंपनी विधि बोर्ड, कलकत्ता का कार्यालय ।

2. व्यक्तियों का उक्त निकाय इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

[फा. सं. बी-12012(5)/79-प्लॉट (ए)]

टी. बाल कृष्णन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 14th November, 1979

S.O. 725(E).—Whereas the Central Government is of opinion in respect of the tea unit known as Samabeong Tea Estate in Kalimpong Sub-division of Darjeeling district, owned by M/s. Kashiram Tea Industries Ltd., P-11, New Howrah Bridge Approach Road, Calcutta-1, that

- (i) out of the period of five years, 1974—78, the tea unit has made losses consecutively for four years from 1974;

- (ii) the average yield of the tea unit during the years 1974 to 1978 has been lower than the district average yield by twenty-five per cent (25%);
- (iii) the tea unit is being managed in a manner highly detrimental to the tea industry and to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16B of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making a full and complete investigation into the affairs of the said tea unit, a body of persons consisting of:

- (1) Shri S. S. Nandkeolyar, Director of Tea Development, Tea Board.
- (2) Shri A. Dutta, Financial Adviser and Chief Accounts Officer, Tea Board.
- (3) Shri C. R. Gautam, Deputy Secretary, Department of Commerce and Industries, Government of West Bengal, Calcutta.
- (4) Shri A. K. Roychowdhury, Deputy Adviser (Finance), Bureau of Public Enterprises, Mayur Bhavan, New Delhi.
- (5) Shri R. C. Nigam, Joint Director (Accounts), O/O the Regional Director, Company Law Board, Calcutta.

2. The said body of persons shall submit its report to the Central Government within a period of ninety days from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

[No. B-12012(5)/79-Plant(A)]

T. BALAKRISHNAN, Jt. Secy.

